हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No:- FFE-B-F002/113/2024 Dated Shimla-171002, the 2024

ORDER

Subject:- Diversion of 0.88 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Dhugli to Bajror (Kms. 1/00 to 3/00), within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Road/26080/2017).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौंगवुड, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या एफ सी/एच.पी.बी./06/15/2021 दिनांक 29/09/2022 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.88** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए **विधिवत् स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण**:
   (क)प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1760 पौधों का रोपण कार्य Survey No. 53A/9, DPF Bhambe-Ra-Naal, Lad Bharol Forest Range, Joginder Nagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P. में किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
4. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered in IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India & Ors.
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों का पातन शून्य होगा।
7. The State Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. The copy of compliance for the same along with documentary evidence

be provided to the office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla.

8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों जहां–जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip plantation की जाएगी।
11. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति–अवरोधक लगाए जाएंगे।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होंगे।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जाएगा।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य वन विभाग/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 **एवं** Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश **1.16** के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।

आदेशानुसार,

कमलेश कुमार पंत, भा0प्र0से0
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated, Shimla – 171002 2024
Copy is forwarded for information and necessary action to: -

1. The Inspector General of Forests, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
2. The Director General of Forests (R.O.H.Q.), Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi – 110003.
3. The Regional Officer, Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla , Himachal Pradesh-171001.
4. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
5. The Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 w.r.t. his letter No. Ft. 48-5020/2020 (FCA) dated 31-08-2024 for similar necessary action.
6. The CEO, H.P. State CAMPA, O/o Pr. CCF (HoFF), H.P., Shimla-171001.
7. The Deputy Commissioner Mandi , Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
8. The Divisional Forest Officer, Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P.
9. The Executive Engineer, HPPWD, Jogindernagar Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.
10. Guard file.

Signed by Vijay Kumar
Date: 30-12-2024 20:19:40

Special Secretary (Forest) to the
Government of Himachal Pradesh

****